

**कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र (सर्व शिक्षा अभियान)
जिला-विदिशा**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी

बिन्दु क्रमांक 1 :- संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

1. 6-14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को निशुल्क बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराना एवं शिक्षकों व छात्रों के रुचिकर पठन पाठन हेतु समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करना।
2. मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराना। जैसे शाला भवन पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण आदि
3. सत्र प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव हेतु मध्याह्न भोजन की रुचिकर व्यवस्था व शिक्षा गुणवत्ता हेतु सघन मॉनिटरिंग

बिन्दु क्रमांक 2 :- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

जिला मिशन संचालक (कलेक्टर जिला विदिशा)/जिला परियोजना संचालक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला विदिशा)/जिला परियोजना समन्वयक (जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा)

बिन्दु क्रमांक 3 :- विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

जिला परियोजना समन्वयक (जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा)

बिन्दु क्रमांक 4 :- अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

निरंक

बिन्दु क्रमांक 5 :- अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार।

बिन्दु क्रमांक 6 :- ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं। प्रवर्गों का विवरण संस्थान के कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली एवं समस्त प्रकरणों का निराकरण एवं सेवा पुस्तिका का संधारण।

संस्थान के कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली एवं समस्त प्रकरणों का निराकरण एवं सेवा पुस्तिका का संधारण।

बिन्दु क्रमांक 7 :- किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है

प्रथम अपीलीय अधिकारी

बिन्दु क्रमांक 8 :- ऐसे बोर्डों ,परिषदों समितियों और अन्य निकायो के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है , जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है । और इस वार में कि क्या बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायो की बैठके जनता के लिये खुली होगी । या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त प्रतिकर प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो ।

निरंक

बिन्दु क्रमांक 9 :- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर
1.	श्री विनोद कुमार चौधरी	डी.पी.सी.	9826741865
2.	श्री टी.एम.बारसी	ए.पी.सी.(ईएण्डआर)	9425640470
3.	श्री जे.पी.नेमा	ए.पी.सी.(ए)	9993021105
4.	श्री खिलानसिंह विश्वकर्मा	ए.पी.सी.(जेण्डर)	9691497500
5.	श्रीमति ज्योति केदारे	ए.पी.सी.(आईईडी)	9407555781
6.	श्री राजकुमार साहू	ए.पी.सी.(मोबिलाईजेशन)	9993372803
6.	श्री सुशील जायसवाल	सहायक यंत्री	
7.	श्रीमति सुमन तिवारी	प्रोग्रामर	8269466860
8.	श्री मनीष श्रीवास्तव	डाटा एण्ट्री आपरेटर	9039185530
9.	श्री आलोक नामदेव	डाटा एण्ट्री आपरेटर	8818913723
10.	श्री रामप्रकाश शर्मा	लिपिक	9827710395
11.	श्री गजेन्द्र जाधव	लिपिक	
12.	श्री राजेश शाक्या	उपयंत्री	9827458625
13.	श्री महेश सोनी	वाहन चालक	
14.	श्री घनश्याम दांगी	वाहन चालक	
15.	श्री छगनलाल परिहार	भृत्य	9981328893
16.	श्रीमति जाहिदा खान	भृत्य	
17.	श्री राजेश श्रीवास्तव	भृत्य / चौकीदार	

बिन्दु क्रमांक 10 :- अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो ।

जिला कार्यालय में निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति /संविदा पर कर्मचारी कार्यरत है अतः शासन नियमानुसार मासिक वेतन दिया जाता है और प्रोफेशनल टैक्स का नियमानुसार कटौता किया जाता है ।

क्र.	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री हरिनारायण लखेरा	बी.आर.सी. विदिशा
2.	श्री रश्मिकांत श्रीवास्तव	बी.आर.सी. कुरवाई
3.	श्री शिवमंगल सिंह शाक्य	बी.आर.सी. नटेरन
4.	श्री अनिरुद्ध डिम्हा	बी.आर.सी. बासौदा
5.	श्री टी.एम.बारसी	ए.पी.सी.(ईएण्डआर)
6.	श्री जे.पी.नेमा	ए.पी.सी.(ए)
7.	श्री खिलानसिंह विश्वकर्मा	ए.पी.सी.(जेण्डर)
8.	श्रीमति ज्योति केदारे	ए.पी.सी.(आईईडी)
9.	श्री राजकुमार साहू	ए.पी.सी.(मोबिलाईजेशन)
10.	श्री सुशील जायसवाल	सहायक यंत्री
11.	श्रीमति सुमन तिवारी	प्रोग्रामर
12.	श्री मनीष श्रीवास्तव	डाटा एण्ट्री आपरेटर
13.	श्री आलोक नामदेव	डाटा एण्ट्री आपरेटर
14.	श्री रामप्रकाश शर्मा	लिपिक
15.	श्री गजेन्द्र जाधव	लिपिक
16.	श्री राजेश शाक्या	उपयंत्री
17.	श्री महेश सोनी	वाहन चालक
18.	श्री घनश्याम दांगी	वाहन चालक
19.	श्री छगनलाल परिहार	भृत्य
20.	श्रीमति जाहिदा खान	भृत्य
21.	श्री राजेश श्रीवास्तव	भृत्य / चौकीदार

बिन्दु क्रमांक 11 :- सभी योजनाओं ,प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपारटों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

क्र.	मद का नाम	प्राप्त बजटवर्ष 2015-16(लाख में)
1.	गणवेश	664.73
2.	सायकल	180.91
3	निःशुल्क पुस्तक वितरण	399.34
4.	शाला भवन निर्माण	225.46
5	सी.डब्लू. एस.एन शिक्षा	39.56
6	बालिका छात्रावास	181.31
7	अन्य मद(शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल ग्रांट, नवाचार इत्यादि मद)	10337.36

बिन्दु क्रमांक 12 :- सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

जिले के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के समस्त छात्र छात्राओं को निशुल्क गणवेश एवं पुस्तकें प्रदाय करना एवं 3 किमी से अधिक दूरी निवासरत कक्षा 6वीं अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निशुल्क साईकिल प्रदान करना।

बिन्दु क्रमांक 13 :- अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रो या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओ की विशिष्टियों

आवेदनकर्ता द्वारा जो जानकारी चाही जाती है उसे कार्यालयीन रिकार्ड के आधार पर संबंधित को नियमानुसार उपलब्ध कराना।

बिन्दु क्रमांक 14 :- किसी इलेक्ट्रानिक रूप मे सूचना के ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या धारित हों।

नहीं

बिन्दु क्रमांक 15 :- सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सूविधाओं की विशिष्टियों जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण के घंटे सम्मिलित है

कार्यालयीन समय में।

बिन्दु क्रमांक 16 :- लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियों

श्री विनोद चौधरी, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा

बिन्दु क्रमांक 17:- ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

निरंक